जनजातीय महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

महेश शुक्ला

समाजशास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) 486001

सारांश

रीवा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य बहुल क्षेत्र वाला जिला है। यहाँ की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या 13 प्रतिशत के लगभग है। सामान्यतः यहाँ की जनजाति उच्च वर्ण के लोगों के सम्पर्क में ही रही है। इस जिले में कोल जनजाति बहुतायत संख्या में पायी जाती है। जिले की त्यौंथर तहसील में कोल जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। मऊगंज एवं हनुमना तहसील में गोंड, बैगा जनजातियों की संख्या ज्यादा है।

जिले की जनजातीय महिलाएँ खेतिहर एवं घरेलू श्रमिक के रूप में ज्यादा क्रियाशील रहती हैं। समय के बदलते परिवेश के साथ अब ये खेतिहर श्रमिक या घरेलू श्रमिक के रूप में कार्य करने से कतराने लगी हैं। प्रमुखतः युवा लड़कियाँ अब अन्य श्रम जैसे निर्माण कार्य, शासन की विभिन्न योजनाओं में होने वाले कार्यों में संलग्न होने लगी हैं। यहाँ की जनजातीय महिलायें भी शोषण एवं अवमानना की शिकार होती हैं। अभी इनमें साक्षरता की स्थिति काफी दयनीय है जिसके कारण ये अपने अधिकारों को ठीक से जान नहीं पातीं। जनजातीय महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादा होती हैं, इसे वे अपनी नियति और रोजमर्रा की जिन्दगी मानती हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले की जनजातीय महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा पर केन्द्रित है जिसमें हिंसा के कारणों एवं परिस्थितियों पर चर्चा की जायेगी।

बीज शब्द : घरेलू हिंसा, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, शोषण, असमानता, सामाजिक वर्जनायें।

जनजातीय समाज उन्मुक्त और मौलिकता से ओत–प्रोत समाज है। छल–प्रपंच और दिखावे से दूर इनका अपना रूमानी संसार है। अपनी लय, गति और जीवन की सरलता को समेटे इनकी अपनी दुनिया है। आदिकालीन जनजातीय समाज सरल, सहज और जातीय प्रतिबद्धताओं में जकड़ा समाज था। सभ्य समाज से कोसों दूर रहने के प्रयास ने उन्हें अपनी प्रतिबद्धताओं तक सीमित कर दिया था, लेकिन समय की बदलती गति से वे मुक्त नहीं रह पाये। आजादी के बाद जनजातीय समाज की प्रतिबद्धता बदलने लगी, क्योंकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की चाहत को रोक नहीं पाये। शासकीय योजनाओं, सामाजिक आंदोलनों और संवैधानिक सुरक्षा के नीतिगत प्रयासों ने उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। विकासोन्मुखी प्रभावों ने उनकी सामाजिक संरचना के ताने–बाने को भी प्रभावित किया।

Corresponding Author: Email: msociology@rediffmail.com
Mobile No. 09425184505

जहाँ तक जनजातीय महिलाओं की स्थिति है, वह प्रारंभ में ही काफी दयनीय रही है। मातृ सत्तात्मक समाजों के कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये, तो बाकी जगह जनजातीय स्त्रियाँ शोषण, असमानता की परिधि में ही संघर्ष करती नज़र आती हैं, लेकिन एक बात तो थी कि वे सभ्य समाज की तरह उपेक्षित नहीं रहती थीं, बल्कि जनजातीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धूरी होती थीं। आर्थिक संरचना की उपयोगी इकाई होने के बावजूद भी जनजातीय स्त्रियाँ अनेक तरह के निषेधों और वर्जनाओं में जकड़ी थीं। उनके अंदर पुरुषों के विरुद्ध प्रतिरोध करने का साहस नहीं था। अभावग्रस्त जिन्दगी और पुरुषों की वर्चस्वता ने उन्हें हाशिये पर कर रखा था, यही कारण था कि उनका शोषण उनके समाज से ज्यादा गैर–जनजातीय समाज के लोगों ने किया।

आदिवासी समाज में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध की घटनायें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ, वे आदिवासी समाज की सामाजिक वर्जनाओं की शिकार जरूर होती हैं। आदिवासी संस्कृति में नारी के साथ पूर्ण न्याय एवं उनके लिये पूर्ण मानवतावादी सम्मान की झलक देखने को मिलती है (शाहू : 1995)[1] मारिया जनजाति (वेरियर एल्विन, 1991 : 51)[2] के अंदर अपराध का कारण अल्कोहल, पारिवारिक झगड़े, यौन उन्माद, सम्पत्ति का विवाद आदि के रूप में पाया गया। बैरियर एल्विन ने बस्तर में आत्महत्या के कारणों पर भी प्रकाश डाला है। 245 घटनाओं में उन्होंने 52 बीमारी एवं 55 पति–पत्नी के झगड़े को कारण बताया है।[3] जनजातियों में बदला लेने की भावनायें भी अपराध को जन्म देती हैं (फेंटन, 1941 : 134)[4] चाहे वह पुरुष के द्वारा हो या स्त्रियों के द्वारा। वेरियर एल्विन ने अपने अध्ययन में मारिया स्त्रियों के विरुद्ध हुई हिंसा के व्यापक कारणों को स्पष्ट किया है, जिनमें स्त्री के प्रति शंका और उसका दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संलग्नता प्रमुख कारण थे।[5]

मीणा जनजाति में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी कई अध्ययन हुए हैं। भील जनजाति में अगर स्त्री और पुरुषों में तालमेल का अभाव होता है या पुरुष अपनी स्त्री से तलाक लेना चाहता है, तो वह अपने साफा को फाड़ता है और उस टुकड़े को अपनी स्त्री को देता है। पत्नी साफे के इस टुकड़े के साथ अपने सिर पर पानी से भरे हुए दो घड़े रखती है और अपनी इच्छानुसार किसी भी दिशा की ओर चल पड़ती है। जो व्यक्ति उसकी दिशा में आता है और उसके सिर से दोनों घड़ों को उतारता है वही उसका भावी पति होता है।[6] इस प्रकार तलाक दी हुई स्त्री को 'जेहूर' अथवा 'निकाला' कहते हैं।

कई जनजातीय समाज में स्त्री को टोनही की उपाधि दी गयी और उसके विरुद्ध अपराध किया गया। 'संथाल' जनजाति की लड़कियों को जबरन काला जादू सीखने के लिये विवश किया जाता है। यह उनकी आत्मरक्षा के लिये है या कोई कुंठित सामाजिक परंपरा का एक भाग।

जनजातीय समाज एवं घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा एक सामाजिक मुद्दा है। इसकी परिधि में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो सामाजिक परंपरा और प्रथा की दृष्टि से अलग हैं। वास्तव में घरेलू हिंसा में स्त्री के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इस हिंसा के कारण औरत की पहचान, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता व क्षमता सभी पर असर पड़ता है। (प्रज्ञा शर्मा, 2006 : 39)[7] स्त्री की इच्छा के विरुद्ध सभी कार्य घरेलू हिंसा के दायरे में आते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मौखिक हो या सामाजिक हो। घरेलू हिंसा में परिवार और सगे–संबंधी सम्मिलित होते हैं जो निजता के साथ स्त्री से जुड़े होते हैं। अपने एक ओर अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली स्त्री आज भी घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं पितृ–सत्तात्मक

समाज में घरेलू हिंसा ज्यादा दिखायी देती है क्योंकि वहाँ पुरुष का 'अहं' सर्वोपरि होता है। इस समाज में लड़के को ताकतवर और लड़की को कमजोर बनाने के षड्यंत्र का गोरख धंधा हजारों वर्षों से चला आ रहा है। आज के शिक्षित और गतिशील समाज में घरेलू हिंसा रुकी नहीं है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है।

जहाँ तक जनजातीय समाज में घरेलू हिंसा का प्रश्न है वह काफी जटिल और भयावह है। जनजातीय स्त्रियाँ घरेलू हिंसा अधिनियम को न जानती हैं और न जानने के लिये उत्सुक ही हैं। उन्हें जब इस अधिनियम के बारे में बताया गया तो हँसते हुए कहती हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वे घरेलू हिंसा की शिकार न हुई हों, लेकिन यह सब उनके प्रथा, परंपरा और आपसी नोंकझोंक का एक हिस्सा है।

घरेलू हिंसा से संबंधित कई अध्ययन हुए हैं। सारे अध्ययनों में स्त्री की विवशता और कमजोरी को ही माना गया है। स्त्री जब अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर उसकी सुरक्षा कैसे संभव है।[8] स्ट्रास (1973: 50)[9] का मानना है कि परिवार तो हिंसा का पालना है (Family as cradle of violence)। उनका मानना है कि विवाह के बाद पुरुष को विवाह लायसेंस के साथ मारपीट का लायसेंस भी मिल जाता है।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा आज की नहीं सदियों की चली आ रही पुरानी घटना है। स्त्री को हमेशा कमजोर और पीड़ा पहुँचाने के योग्य समझा गया। इसीलिये उसका शोषण हुआ।[10] दुनिया के दार्शनिक, लेखक, बुद्धिजीवियों का एक तबका भी स्त्री को सिर्फ उपभोग की वस्तु तक ही सीमित रखता है। शायद इसी नज़रिये ने स्त्री को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा।

रीवा जिले में आदिवासियों के विरुद्ध अपराध

रीवा जिले में आदिवासियों की जनसंख्या सामान्य जातियों की जनसंख्या से बहुत कम है। जिले की कुल 23,65,109 जनसंख्या की तुलना में आदिवासी जनसंख्या 3,11,905 है, जिसमें पुरुष 1,61,696 एवं महिला 1,50,289 हैं।[11] रीवा जिले में 13 प्रतिशत के लगभग आदिवासी हैं। इस जिले की कोल जनजाति प्रारंभ से ही सभ्य समाज के सम्पर्क में रही इसलिये इस जाति में सामाजिक गतिशीलता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कोल जनजाति सभ्य समाज के सम्पर्क में ज्यादा रही जबकि गोंड, बैगा, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र को आदिवासी विकास परियोजना पिपराही योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस परियोजना में मऊगंज एवं हनुमना विकास खण्ड के क्रमशः 22 एवं 27 कुल 49 गाँव सम्मिलित है।

प्रस्तुत अध्ययन इस परियोजना क्षेत्र के पाँच आदिवासी बाहुल्य गाँव, पिपराही, वीरादेई, जड़कुड़, नकवार, सरदमन गाँव पर आधारित है। इन गाँवों के 150 आदिवासी महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा घरेलू हिंसा के संबंध में तथ्यों को प्राप्त किया गया।

सारणी–क्रमांक 1

रीवा जिले में आदिवासियों के विरुद्ध अपराध

क्रमांक	अपराध की प्रवृत्ति	2011	2012	2013
1.	हत्या	03	Nil	01
2.	हत्या का प्रयास	0	01	01
3.	लूट	02	Nil	Nil

4.	अपहरण	Nil	01	NIL
5.	बलात्कार	11	06	04
6.	सील भंग	06	06	07
7.	साधारण चोट	03	05	02

इस तरह हम देखते हैं कि जिले में आदिवासियों के विरुद्ध अपराध के मामले बहुत कम हैं। वास्तव में कई अपराध तो थाने तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। डर और भय के कारण आदिवासी अपराध को सह लेते हैं, लेकिन थाने नहीं जाते। शायद यही कारण है कि गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य अपराधों को सह जाते हैं।

सारणी–क्रमांक 2

अध्ययन क्षेत्र के गाँवों में आदिवासी संख्या

क्रमांक	गाँव	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री
1.	पिपराही	2087	1074	1013
2.	वीरादेई	2290	1161	1129
3.	जड़कुड़	2448	1251	1197
4.	नकवार	1480	738	742
5.	सरदमन	1588	797	791

इन पाँच आदिवासी बाहुल्य गाँवों में आदिवासियों की जनसंख्या 90 प्रतिशत से ऊपर है। इन गाँवों में लिंगीय अनुपात भी अच्छा है। इन गाँवों में निवास करने वाली कोल, गोंड एवं बैगा जनजाति की विवाहित स्त्री को ही इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

सारणी–क्रमांक 3

महिलाओं के प्रति अपराध का कारण

क्रमांक	अपराध का स्वरूप	कोल	गोंड	बैगा	योग150
1.	रौब जमाना एवं गाली देना	42	28	30	100 (66%)
2.	चरित्र पर शक करना	38	15	18	61 (41%)
3.	परिवार के सदस्यों द्वारा उकसाने पर	12	13	09	34 (23%)
4.	शराब पीकर झगड़ा करना	18	20	13	51 (34%)

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट करता है कि, कोल महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादा होती हैं, जबकि इनकी तुलना में गोंड एवं बैगा महिलाओं के विरुद्ध प्रताड़ना कम होती है। विश्लेषण में यह बात भी सामने आती है कि पुरुषों में अहं भाव हिंसा को प्रेरित करता है इसीलिये 66% महिलायें मारपीट एवं गाली–गलौज की शिकार होती हैं।

41% महिलाओं के चरित्र पर शक किया जाता है कि उसका संबंध किसी दूसरे के साथ है और वह इस शक के आधार पर हिंसा की शिकार होती है। 34% महिलाओं के पति या घर का दूसरा सदस्य शराब पीकर प्रताड़ित करता है। जबकि 23% महिलायें घर के किसी

सदस्य द्वारा उकसाने पर प्रताड़ित होती हैं। इन महिलाओं ने यह बताया कि उनकी सास या ननद उनके पति को उकसाती हैं इसलिये वे प्रताड़ित करते हैं।

जनजातीय स्त्रियाँ पुरुषों की तरह ही काम–धंधों में क्रियाशील रहती हैं। वे परिवार की आर्थिक धुरी की अहं भाग होती हैं, इसके बावजूद भी प्रताड़ना का शिकार बनती हैं।

सारणी–क्रमांक 4

अपराध करने वाले लोग

क्रमांक	अपराध का स्वरूप	कोल	गोंड	बैगा	योग150
1.	पति	28	12	18	58 (39%)
2.	सास/ससुर	07	02	06	15 (10%)
3.	रिश्तेदार	03	x	02	05 (3%)
4.	अन्य	05	02	03	10 (7%)

आदिवासी महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा उनके पति ही करते हैं। 39% महिलाओं ने उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा वे अपने पति से ही प्रताड़ित होती हैं। इस प्रताड़ना के बावजूद भी वे पति के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहतीं। 10% महिलायें सास/ससुर से प्रताड़ित होती हैं जबकि 3% रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों में ननद, देवर या जेठानी होती हैं। 7% महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले अन्य लोग होते हैं। अन्य लोगों के संबंध में इन महिलाओं का कहना है कि ठेकेदार गाँव का मुखिया या अन्य सरहंग होते हैं जिनकी नीयत उनके प्रति अच्छी नहीं होती है।

सारणी–क्रमांक 5

अपराध की दर

क्रमांक	अपराध की दर	कोल	गोंड	बैगा	योग
1.	प्रतिदिन	11	07	06	24 (16%)
2.	कभी–कभी	09	06	08	23 (15.3%)
3.	कुछ निश्चित नहीं	18	12	19	49 (32.6%)

आदिवासी महिलाओं से जब अपराध की दर के संबंध में बातचीत की गयी तो पता चला 16 प्रतिशत महिलायें प्रतिदिन घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, जबकि 15 प्रतिशत महिलाओं के विरुद्ध कभी–कभी हिंसा होती है। इन सबसे हटकर 32.6 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके साथ अपमान या हिंसा कुछ निश्चित नहीं होता। मौका देखते ही हिंसा का प्रतिरूप सामने आ जाता है। ऐसा नहीं कि ये आदिवासी महिलायें हिंसा का विरोध नहीं करतीं? वे प्रतिकार भी करती हैं। इस प्रतिकार में कभी–कभी पुरुष वर्ग और भी उग्र होकर हिंसा करता है।

सारणी–क्रमांक 6

प्रताड़ना का प्रतिकार

क्रमांक	अपराध की दर	कोल	गोंड	बैगा	योग
1.	हिंसा का प्रतिकार करती हैं	12	14	12	38 (25%)
2.	नहीं करती हैं	30	24	26	83 (53%)
3.	उत्तर नहीं दिया	08	12	12	32 (22%)

आदिवासी महिलायें जितनी सौम्य और सहज होती हैं, उतनी ही निर्भीक और कठोर। 25 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि जब उनके खिलाफ हिंसा या अवमानना होती है तो वे इसका विरोध भी करती हैं। कभी–कभी यह विरोध काफी उग्र भी हो जाता है। 53 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि वे प्रतिकार नहीं करतीं, चुपचाप सह लेती हैं, लेकिन घर के बाहर का कोई सदस्य उनकी अवमानना करे तो उसका विरोध करने का वे साहस जुटाती हैं। इन महिलाओं में 22 प्रतिशत ऐसी भी थीं जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

सारणी–क्रमांक 7

प्रतिकार का तरीका

क्रमांक	प्रतिकार का तरीका	कोल	गोंड	बैगा	योग
1.	गाली–गलौज करके	06	07	04	17 (45%)
2.	गाली के साथ मारपीट करके	03	05	03	11(29%)
3.	शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाकर	03	02	05	10 (26%)

आदिवासी महिलायें अपने ऊपर हुई घरेलू हिंसा का विरोध करती हैं। उपरोक्त विश्लेषण में 45 प्रतिशत महिलायें कहती हैं कि वे हिंसा के विरोध के रूप में गाली–गलौज करती हैं। 29 प्रतिशत महिलायें तो अपशब्दों के प्रयोग के साथ प्रतिउत्तर में मारपीट भी करती हैं। 26 प्रतिशत महिलाओं के साथ जब हिंसा होती है तो वे शोर मचाती हैं, पड़ोसियों को बुलाती हैं।

जनजातीय महिलायें निर्भीकता के साथ अपना उत्तर देती हैं। उत्तरदाताओं ने यह बताया कि मारपीट या अन्य प्रतिकार करने के बाद कुछ दिनों तक माहौल शांत रहता है।

सारणी– क्रमांक8

हिंसा की जानकारी देने का विवरण

क्रमांक	प्रारंभिक जानकारी दी	कोल	गोंड	बैगा	योग
1.	माता–पिता	05	07	06	18 (47%)
2.	पड़ोसी	03	02	03	08 (21%)
3.	रिश्तेदार	02	Nil	02	06 (16%)
4.	पुलिस	Nil	Nil	Nil	Nil
5.	किसी को नहीं	02	03	01	06 (16%)

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः आदिवासी महिलायें अपने ऊपर हुई हिंसा को छुपाती नहीं हैं। वे उसे अपने रिश्तेदार/पड़ोसी आदि को बताती भी हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि हो सकता है कि हिंसा करने वाले को लोग समझाइश दें और भविष्य में वह उसकी पुनरावृत्ति न करें।

47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जबाव दिया कि वे अपने ऊपर हुई हिंसा को अपने माँ–बाप को बताती हैं, कभी–कभी उनके माँ–बाप लड़ाई करने भी पहुँच जाते हैं और अनावश्यक तनाव उत्पन्न होता है। 21 प्रतिशत महिलायें अपने ऊपर हुई हिंसा को पड़ोसी के साथ भी शेयर करती

हैं। वे अपने ऊपर हुई हिंसा की सूचना पुलिस या अन्य अधिकारी को नहीं देतीं। 16 प्रतिशत ऐसी भी महिलायें मिलीं जो हिंसा को चुपचाप सह लेती हैं किसी के साथ उसे बांटती नहीं हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आदिवासी जीवन अल्हड़ और विमुक्त जीवन होता है। ये छल, कपट और असामाजिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। आदिवासी महिलाओं की दुनिया भी सरल और सौम्यता की दुनिया होती है। इसी सरलता के कारण वे शोषण और अवमानना की शिकार होती हैं। आदिवासी महिलाओं का शोषण सामंतवादी प्रवृत्तियों ने ज्यादा किया। उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहार को वो एक नियति मानती हैं, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के द्वारा होने वाला शोषण अमानवीय और अव्यावहारिक है। आदिवासी महिलायें घरेलू हिंसा अधिनियम को नहीं जानतीं, रोजमर्रा के जीवन में होने वाली अवमानना को अपने जीवन का एक हिस्सा समझती हैं। उनके लिये पति या परिवार के किसी सदस्य द्वारा की जाने वाली हिंसा को वे उतनी खतरनाक नहीं मानतीं।

अध्ययन के विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि आदिवासी महिलायें भी सजग और जागरूक हो गयी हैं। वे अब अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को सहती नहीं हैं बल्कि मुखर होकर प्रतिकार करने का हौसला रखती हैं। यह जज्बा और नई चेतना निश्चित ही आदिवासी महिलाओं के जीवन को नई ऊर्जा और गति देने में समर्थ होगा।

संदर्भ सूची

शाहू, चतुर्भुज, (1995), *वन्य जाति, XLIII(4,)* अक्टूबर, संस्कृति अस्मिता पहचान को जीवित रखने में प्रयत्नशील आदिवासी। वन्या प्रकाशन।

Varrier, Elwin, (1991), *Maria Murder and Suicide*, Oxford University Press, 57.

Fenton, W.N., (1941), Iroquois Suicide of American Ethnology : *Anthropological Papers*, Washington, 134.

Varrier Elwin, (1991), *Maria Murder and Suicide*, Oxford University Press, 88-89.

मीणा, लक्ष्मीनारायण, (1991), *भील जनजाति एवं परिचय,* हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 94.

शर्मा, प्रज्ञा, (2006), *महिलाओं के प्रति अपराध,* पोइण्टर पब्लिशर्स, जयपुर.

Fitz, Gerstenzang S., (1978), *Anger in Every day life, when, why where and with whom,* Paper presented at the meeting of the Midwestern Psychological Association Chicago, May.

Steinmetz, S.K., Straus, M.A., (1973), The family as cradle of Violence, *Society*, 10, 50-56.

Mishra, Preeti, (2006), *Domestic Violence against Women: Legal Control and Judicial Response*, Deep and Deep Publication, New Delhi.

Census 2011, पुलिस रिकार्ड अजाक थाना, सिविल लाइन्स, रीवा।